बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक परमात्मा तिवारी (निबंधन संख्या–1200324 / 2190920) ग्राम–उर्दा, पो0+थाना– चेनारी, जिला–रोहतास, पिन–821104 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 5981 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 12.06.2025 को समर्पित अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

16/06/2025

आदेश

संवेदक परमात्मा तिवारी ग्राम–उर्दा, पो0+थाना– चेनारी, जिला–रोहतास एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ एवं शेरधाटी उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल भभुआ के अधीन नाबार्ड योजनान्तर्गत **भभुआ मोहनियां पथ से कोरी भाया झिगई डिहरा पथ** में उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय रख–रखाव हेतु आमंत्रित निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करने के कारण संवेदक परमात्मा तिवारी के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 5981 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक परमात्मा तिवारी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन दिनांक 12.06.2025 को अपर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष समर्पित किया गया है।

सुनवाई के दौरान कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरधाटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक परमात्मा तिवारी द्वारा कार्य प्रमंडल, भभुआ के अधीन संदर्भित निविदा में समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र कार्य प्रमंडल, शेरधाटी के कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में सुनवाई के दौरान बताया गया कि टेंडर आई डी0–122985 कार्य प्रमंडल, लखीसराय से संबंधित है एवं उनके द्वारा उक्त टेंडर में भाग नहीं लिया गया है। उनके द्वारा कार्य प्रमंडल, भभुआ के अधीन भभुआ मोहनियां पथ से कोरी भाया झिगई डिहरा पथ में उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय रख–रखाव हेतु आमंत्रित निविदा (टेंडर आई0डी0 संख्या–122958) में भाग लिया गया है एवं उक्त आमंत्रित निविदा में उनके यहाँ कार्यरत ऑपरेटर द्वारा भुलवश गलत कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड कर दिया गया है।

संवेदक द्वारा उक्त के संबंध में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ करने का अनुरोध किया गया तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक परमात्मा तिवारी (निबंधन संख्या–1200324 / 2190920) ग्राम–उर्दा, पो0+थाना– चेनारी, जिला–रोहतास द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 5981 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकरण (Blacklist) आदेश को निरस्त किया जाता है साथ ही अपीलकर्त्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर पुनः काली सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

16/6/2025

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

निबंधित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक 20.6.25

प्रतिलिपिः– संवेदक परमात्मा तिवारी पताः–ग्राम–उर्दा, पो0+थाना–चेनारी, जिला–रोहतास, पिन कोड–821104 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक– 20.6.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक– 20.6.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्य ककार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक– 20.6.25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी (डीबार एवं काली सूची) ग्रामीण कार्य विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक– 20.6.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–33/2025 6380 /पटना, दिनांक– 20.6.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव